	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ *14*, *शुक्रवार*, शाके 1946-*जुलाई 05*, 2024 *Asadha 14, Friday, Saka 1946- July 05, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

अधिसूचना

जयपुर, जून 07, 2024

संख्या प. 2(26)वन/2024 :- चुकिं निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है।

और चुकिं पूर्वोवत भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व ही किये गये है।

और चुकिं सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोवत वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चुंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारो को क्षति पहुचने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ओफिसर को पूर्वोतर वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती हैं। तथ ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11(1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखों के सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आवेगी। और न उस पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष संलग्न द्वितीय अनुसूची में अकिंत किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोतर तारीख से उक्त वन में पत्थरों

को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा			नाम ग्राम	विवरण		
				दिशा	भूमि	खसरा नं0		खसरा नं0	क्षैत्रफल (बीघा में)	क्षैत्रफल (हे0 में)
1	वनखण्ड रीछवा कालीसिंध	बकानी	झालावाड़	उत्तर	चारागाह	1113/471	रीछवा	1114/471	17-0	4.2993
				दक्षिण	सीमा ग्राम रिजोदा	-				
				पूर्व	वनभूमि वनखण्ड रीछवा ए	469		1014/471	29-06	7.41
				पश्चिम	चारागाह	1172/472				
			कुल वनखण्ड रीछवा कालीसिंध						**46-06**	**11.7093**

हस्ताक्षर

(बलराम गोचर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बकानी

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
झालावाड़

द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखण्ड रीछवा कालीसिंध

पेडो की सूची

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	Acacia nilotica	देशी बबूल
2	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
3	Ziziphus muaritiana	झाड़ी बेर
4	Balanities aegyptiaca	हिगोंट
5	Acacia leucophloea	रोंझ
6	Dalbergia sissoo	शीशम
7	Holoptelia integrifolia	चुरेल

हस्ताक्षर

(बलराम गोचर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बकानी

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
झालावाड़

कार्यालय उप वन संरक्षक झालावाड़

प्रमाण-पत्र

जिला :- झालावाड़
तहसील :- बकानी
रेंज :- बकानी
वनखण्ड :- रीछवा कालीसिंध
ग्राम :- रीछवा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण कालीसिंध बांध परियोजना के निर्माण में आयी वन भूमि के विरूद्व प्राप्त गैर वन भूमि है जिसका वन विभाग के नाम अमल-दरामद की जा चकी है। भूमि की किस्म गे.मु0 जंगलात है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यो के कराये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न हैं जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
5. प्रस्तावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक हैं। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।
6. इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

(बलराम गोचर)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
बकानी

हस्ताक्षर

(वी. चेतन कुमार I.F.S.)
उप वन संरक्षक,
झालावाड़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।